

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक: प.8 (क)(या)()डीएलबी/2025/85

दिनांक: 5/2/25

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 7008 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जिला कलेक्टर बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली एवं उदयपुर को निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नगर निगम बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली एवं उदयपुर का प्राधिकारी/प्रशासक नियुक्त किया गया था। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 326 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार प्राधिकारी/प्रशासक की निम्नलिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन, निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक संबंधित नगर निगम आयुक्त को, एतद्वारा किया जाता है:-

1. समस्त पट्टे संबंधित कार्य
2. पुनर्गठन एवं उपविभाजन संबंधित कार्य
3. ले आउट प्लान अनुमोदन संबंधित कार्य
4. खांचा भूमि से संबंधित कार्य

(इंद्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 5/2/25

क्रमांक: प.8 (क)(या)()डीएलबी/2025/86-552
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. जिला कलेक्टर अलवर, भरतपुर, पाली, उदयपुर एवं बीकानेर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, संबंधित, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिकाधिकारी, संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ राजस्थान।
9. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
10. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
12. नगर नियोजक, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने बाबत।
14. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय।
15. निदेशक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ
16. सुरक्षित पत्रावली।

(सोमदत्त खाण्डपा)
सहायक विधि परामर्शी